मैसर्स एच. बी. एल. एयरक्राफ्ट बैटरीज लिमिटेड

विरुद्ध

केंद्रीय उत्पाद आयुक्त, हैदराबाद

5 ਸई, 2004

राजेन्द्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति और जी. पी. माथुर, न्यायाधिपति

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944, केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन नियम, 1975-धारा 4/नियम 4, 5 और 6 (बी)(ii) - वस्तुओं का निर्धारण योग्य . मूल्यांकन, किसी एक उपभोक्ता को कम कीमत पर आपूर्ति किये जाने वाले राजस्व का निर्धारणए वस्तु के बाजार मूल्य के आधार पर पहुंच योग्य मूल्य निर्धारित किया गया तथा इसे विचार में लिया गया कि तुलनात्मक कीमत क्या होगी - इसकी यथार्थता - निर्धारित - कीमत, संविदा कीमत के आधार पर न कि बाजारी कीमत पर आधारित होनी चाहिए। तुलनात्मक कीमत के आधार पर निश्चय करना तभी सम्भव है जब कीमत का निश्चय नहीं किया जा सकता।

अपीलार्थी निर्धारिती सिल्वर ऑक्साइड जिंक बैट्री का उत्पादन करता था जिसमें चांदी कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की जाती थी। वह रक्षा मंत्रालय को बैट्री की आपूर्ति करता था जो कम कीमत पर होती थी तथा हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड को उच्चतर कीमत पर आपूर्ति करता था। कम कीमत उसके व मंत्रालय के बीच एक संविदा का परिणाम था। इस संविदा में यह प्रावधान था कि मंत्रालय उसे चांदी की आपूर्ति करेगा। मंत्रालय उसे चांदी की आपूर्ति अपनी खानों से रु.2500 प्रति किलो की दर से प्राप्त कर अपीलार्थी को आपूर्ति करता था जब खानों में इसकी मात्रा कम हो गयी तो मंत्रालय ने पुरानी बैट्रीयों की आपूर्ति उसे की ताकि चांदी बरामद हो सके। अपीलार्थी ने जब इसका चालान मंत्रालय को दिया तो पुरानी बैट्रीयों से बरामद चांदी की कीमत रु.2500 प्रति किलो की दर से काट ली। जो बाजार में चांदी की दर थी।

राजस्व ने जब यह देखा कि बैटरीयों की कीमत में रक्षा मंत्रालय व एचएएल को आपूर्ति की जा रही है उनमें फर्क है तो उसने अंतर राशि ड्यूटी की मांग की जो मंत्रालय को बैटरी की आपूर्ति की जा रही थी। चांदी का बाजार भाव इस बात का आधार है कि मुल्यांकन योग्य मुल्य निर्धारित किया जाए। इस मांग के निर्धारित हो जाने के बाद अपीलीय अधिकारी ने निर्धारित किया कि वर्तमान मामले में जो कीमत तुलनात्मक वस्तुओं की है वह तरीका अपनाया जाएगा। चांदी की कीमत धारा 4 केन्द्रीय उत्पाद एवं नमक अधिनियम 1944 के तहत ही मूल्यांकन का आधार है। जिसमंे बताया गया है कि वह कीमत जिस पर माल को व्यापार के सामान्य सिलसिले में विक्रय किया जाता है यह सिद्धांत लागू नही होता क्योंकि मंत्रालय को विक्रय एक ऐसा संव्यवहार नहीं था जो सामान्य व्यापारिक चलन में हो। यह एक विशेष व्यवस्था थी एवं एक चांदी की एक राष्ट्रीय कीमत अपनायी गयी।

इस न्यायालय को की गई अपील में अपीलार्थी ने यह तर्क दिया है कि मूल्यांकन योग्य मूल्य (चांदी की) को संविदा की कीमत के आधार पर तय करना चाहिए। धारा 4 (1) ए के परंतुक के तहत माल की वह कीमत जिस पर माल को हर क्रेता को विक्रय किया जाता है। उसे सामान्य कीमत कहा जाएगा। अतः वह कीमत जिस पर बैटरीयों को मंत्रालय को विक्रय किया गया उसे सामान्य कीमत कहा जाएगा। तुलनात्मक कीमत अंतर्गत नियम 6 (ए) (पप) को ध्यान में रखा जा सकता है जब माल की कीमत का पता नियम 4 या 5 केंद्रीय उत्पाद (आंकलन) (नियम 1975) के तहत पता नहीं लगाया जा सकता।

राजस्व का तर्क है कि बाजार मूल्य न कि संविदा मूल्य को विचार में रखना चाहिए क्योंकि पुरानी बैटरीयों से प्राप्त की गई चांदी एक विशेष व्यवस्था है तथा एक सामान्य चलन नहीं है। अपीलार्थी को धारा 4(1)(ए) के परंतुक का लाभ नहीं दिया जा सकता।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. केंद्रीय उत्पाद एवं नमक अधिनियम की धारा 4 में उत्पाद कर योग्य माल की कीमत का आकलन करना बताया गया है जिन पर इ्यूटी का प्रभार लगाया जा सकता है जो उनकी कीमत से सम्बद्ध है। कीमत का आंकलन साधारणतः माल की कीमत पर आधारित होता है जो वह कीमत है जिस पर माल पर उत्पाद कर इस आधार पर लगाया जाता है कि इस कीमत पर उत्पादकर्ता ने खरीददार को माल बेचा है। अपवादस्वरूप मामलों में जब कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता तो उसका आकलन निकटतम समकक्ष आकलन नियम के अनुसार निधारित प्रक्रिया से किया जाता है। कीमत उपरोक्त नियम के उद्देश्यों के अनुसार धारा 4 अधिनियम में बताई गई कीमत है तथा इसे धारा 4 व 5 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। नियम 6 तभी लागू किया जा सकता है जब वह माल जिस पर उत्पाद कर लगाया जा रहा है उसकी कीमत का आकलन नियम 4 व 5 के तहत नहीं किया जा सकता। जब माल उत्पादकर्ता द्वारा विक्रय नहीं किया जाता अपितु उसका उपयोग अन्य माल के उत्पाद में किया जावे तो उसकी कीमत इस आधार पर की जाएगी कि समान तुलनात्मक माल के उत्पादन की क्या कीमत होगी। यदि ऐसा उत्पाद की कीमत पर नहीं किया जा सकता यदि ऐसा है तो वह कीमत होगी जो सामान्यतः ऐसे माल के विक्रय पर कमाता। (99-ई-जी)

अशोक लीलैंड विरुद्ध सीसीई मद्रास (2002-146) ईएलटी 503, यूनियन कार्बाइड (भारत) विरुद्ध सीसीई कलक Ÿाा (2003) 153 ईएलटी 15, बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध भारत संघ (1992) 60 ईएलटी 671 एवं सीसीई विरुद्ध डाई इची करकारिया लिमिटेड (1999) 112 ईएलटी 353, का संदर्भ दिया गया।

2. अपीलार्थी को जिस चांदी की आपूर्ति की गई उसकी कीमत का आकलन किया जा सकता था। यदि खानों में चांदी की मात्रा कम नहीं होती तो रक्षा मंत्रालय उसे चांदी की आपूर्ति कर सकती थी। लेकिन चांदी की मात्रा कम हो जाने से रक्षा मंत्रालय ने पुरानी बैटरीयों की आपूर्ति चांदी की बरामदगी के लिए की, इससे यह नहीं होता कि चांदी की कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता। चांदी की कीमत जो आपूर्ति की गई वह रु.2500 प्रति किलो मानी जाएगी क्योंकि यह वह कीमत है जिस पर रक्षा मंत्रालय खान से चांदी की कीमत दे रहा था, इसका आकलन इस सिद्धांत पर आधारित है कि तुलनात्मक माल की कीमत क्या है परंतु यह तभी होगा जब कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में यह प्रश्न नहीं उठता (100-डी-ई)

3. रक्षा मंत्रालय द्वारा चांदी की आपूर्ति रक्षा मंत्रालय व अपीलार्थी के बीच संविदा में तय थी तथा उसे थोक व्यापार का सामान्य अभ्यास कहेंगे। धारा 4(1)(बी) के प्रथम परंतुक के अनुसार जहां थोक व्यापार के सामान्य अभ्यास में माल विभिन्न कीमतों पर जो क्रेताओं के भिन्न श्रेणियों को विक्रय किया जाए तो ऐसी समस्त कीमतें माल की सामान्य कीमत प्रत्येक श्रेणी के क्रेता के लिए मानी जाएगी। अतः रक्षा मंत्रालय को विक्रय की जाने वाली बैटरी की कीमत रु.33,393 है तथा इसमें प्रयुक्त चांदी जो उत्पाद में काम में ली गई उसकी कीमत का आकलन रु.2500 प्रति किलो किया जाएगा और राजस्व चांदी की बाजारू कीमत नहीं लगा सकता। (100-एफ-एच)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार -सिविल अपील सं. 898/1998

केंद्रीय उत्पाद एवं सोना (नियंत्रण) अपीलीय ट्रिब्यूनल दक्षिण क्षेत्र पीठ चेन्नई के एफ ओ सं. 2907/1997 अपील सं. ई/1376/1993-ए में किए गए निर्णय व आदेश दिनांक 10.11.1997 के विरुद्ध।

वी. लक्ष्मीकुमारन, आलोक यादव एवं वी. बाल चंद्रन अपीलार्थी की ओर से।

राजू रामचंद्रन अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, श्रीमती निशा बागची, पी. मनीष पारुल राजन एवं बी. के. प्रसाद प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

राजेंद्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति

अपीलार्थीगण सिल्वर ऑक्साइड जिंक व बैटरी के उत्पादकर्ता है जिन्हें हम आगे चलकर बैटरीज कहेंगे। जो रक्षा मंत्रालय को आपूर्ति की जाती थी, जिसे हम आगे चलकर एमओडी कहेंगे तथा साथ ही हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड को जिसे हम आगे चलकर एचएएल कहेंगे। इस अपील में यह मामला उठाया गया है कि रक्षा मंत्रालय की बैटरीज पर क्या उत्पादकर लगेगा। रक्षा मंत्रालय ने बैटरीज की आपूर्ति एचएएल को उच्च दर पर की थी जबकि रक्षा मंत्रालय को एमओडी से वसूल की गई कीमत रु.33393 थी जबकि एचएएल से वसूल की गई कीमत रु.53993 थी। कीमत में यह फर्क इसलिए आया कि अपीलार्थीगण का दोनों क्रेतागण से पृथक् पृथक् संविदा होना था। चांदी एक ऐसा कच्चा माल है जो बैटरी के

उत्पादन में काम आता है। एमओडी को की जाने वाली आपूर्ति के संविदा में यह प्रावधान था कि अपीलार्थीगण को चांदी की आपूर्ति एमओडी करेगा। एमओडी के पास चांदी का स्टाॅक बम्बई, कलक Ÿाा की खानों में था तथा वे इसकी आपूर्ति उन सभी बैटरी उत्पादकों को करते थे जिनसे बैटरी खरीदी जाती थी। एमओडी चांदी खानों से रु.2500 प्रति किलो की दर से खरीदती थी। क्छ समय बाद एमओडी का बम्बई व कलकता में चांदी का स्टाॅक कम हो गया। अतः उन्होंने पुरानी बैटरीयां जो मृत हो चुकी थीं, के विभिन्न उत्पादों को वापस निर्माताओं को आपूर्ति की ताकि वे उन बैटरियों में से चांदी निकालकर ताजा बैटरियों का उत्पाद करे। अपीलार्थीगण को इस संबंध में एमओडी को प्रत्येक बैटरी की कीमत में छूट देनी होगी। अपीलार्थीगण ने एमओडी को माल की आपूर्ति करते वक्त चांदी की कीमत जो बैटरियों में लगाई गई थी तथा जो प्रानी बैटरियों से प्राप्त की गई थी। वह रु.2500 प्रति किलो की दर से लगाई गई थी जबकि इसकी बाजार दर रु.6666 प्रति किलो थी जो एचएएल को की गई आपूर्ति में लगाई गई। अपीलार्थीगण के अनुसार उन्होंने रु.2500 प्रतिकिलो चांदी की दर एमओडी के मामले में इसलिए लगाई क्योंकि एमओडी ने खान से चांदी रु.2500 प्रति किलो की दर से खरीदी थी तथा संविदा के अन्सार प्रावधान यह था कि यदि उन एमओडी से चांदी खरीदी जाएगी तो उसकी दर रु.2500 प्रति किलो लगाई जाएगी। आयुक्त केंद्रीय उत्पाद कर, हैदराबाद ने दोनों आपूर्तिकर्ताओं- एमओडी व एचएएल, की कीमत में अंतर देखकर एक कारण बताओ नोटिस अपीलार्थीगण को जारी किया कि क्यों नहीं उनसे

अंतर के कर की राशि वसूल की जाए। यह इस आधार पर किया गया कि चांदी की बाजारु कीमत के आधार पर निर्धारण योग्य कीमत तय की गई है अपीलार्थी की आपत्ति के बावजूद यह मांग पुष्ट की गई।

अपील में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यह तय किया कि अपीलार्थी द्वारा बैटरियों की कीमत का जो आकलन रु.2500 प्रति किलो खुले बाजार की कीमत रु.6666 के म्काबले किया है वह काल्पनिक कसरत है तथा एमओडी दवारा जो कीमत इंगित की गई है वह चांदी की सही कीमत नहीं दर्शाता ट्रिब्यूनल ने यह भी निर्धारित किया कि केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 4 के तहत यह निर्धारित किया कि वह कीमत जो माल के विक्रय पर व्यापार के सामान्य चाल चलन में जो कीमत होती है वह लगानी चाहिए जबकि एमओडी को की गई आपूर्ति की कीमत सामान्य व्यापारिक चाल चलन में नहीं है। बल्कि यह एक विशेष व्यवस्था है जिसमें चांदी की काल्पनिक कीमत स्वीकार की गई। ट्रिब्यूनल ने निर्धारित किया कि इसे सामान्य व्यापारिक चाल चलन का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। चांदी की वह कीमत जो ख्ले बाजार में है वह आकलन का आधार बनेगा। यह निर्धारित किया गया है कि तुलनात्मक वस्तुओं की कीमत के आधार पर चांदी की कीमत निकाली जानी चाहिए जो रु.6666 प्रति किलो होती है तथा एचएएल को की गई आपूर्ति में लगाई गई है और उन्होंने अपील को खारिज कर दिया। अतः यह अपील -

हमारे समक्ष यह प्रश्न उठता है कि चांदी की कीमत का आकलन जो सिल्वर ऑक्साइड व जिंक बैटरी एमओडी को आपूर्ति करने में लगाई गई, क्या होगी। क्या इसकी कीमत वह होगी जो एमओडी ने खान से चांदी प्राप्त करने में अदा की या चांदी की बाजारु कीमत?

अपीलार्थी का तर्क है कि संविदा की कीमत जिस पर बैटरी एमओडी को आपूर्ति की गई वही एकमात्र तरीका है जिससे बैटरी की आपूर्ति एमओडी को की गई और उसी संविदा की कीमत पर चांदी की कीमत का आकलन किया जाना चाहिए।

धारा 4 (1) ए के प्रथम परंतुक में बताया गया है कि माल के विक्रय में खरीददारों की दो श्रेणियां होती हैं एक तो वह कीमत जिस पर प्रत्येक क्रेता को माल बेचा जाता है जिसे सामान्य कीमत कहा जाएगा जो हर ऐसी श्रेणी के क्रेता के संबंध में होगा। अपीलार्थीगण का तर्क है कि एमओडी को विक्रय की जाने वाली बैटरियां सामान्य बैटरियों की सामान्य कीमत पर ही बेची गई हैं। अपीलार्थीगण केंद्रीय आबकारी (आकलन) नियम 1975 के नियम 5 पर निर्भर करते हैं।

अपीलार्थीगण का तर्क है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि कीमत एकमात्र एमओडी से संव्यवहार का एकमात्र तरीका नहीं है क्योंकि चांदी की कीमत जो एमओडी द्वारा अपीलार्थी को दी गई वह रु.2500 प्रति किलो की दर पर दी गई। इसको ध्यान में रखते हुए बैटरी की कीमत का आकलन किया जाना चाहिए। अपीलार्थीगण का कथन है कि त्लनात्मक कीमत जो चांदी की है उसे चांदी की कीमत समझना सही नहीं है। नियम 6 (बी)(पप) के तहत तुलनात्मक कीमत को तभी ध्यान में रखा जा सकता है जब उत्पाद कर योग्य माल की कीमत नियम 4 या 5 के तहत आकित नहीं की जा सकती। उनके द्वारा अशोका लीलैंड लिमिटेड विरुद्ध कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद कर मद्रास, (2002) 146, ईएलटी 503 (एससी) की नजीर की ओर ध्यान दिलाया गया है जिसमें निर्धारित किया गया था कि विभिन्न श्रेणी के क्रेताओं को माल का विक्रय उसकी सामान्य कीमत को अनिश्चित नहीं बनाया गया। जिससे धारा 4(प)(बी) आकर्षित हो। यह भी तर्क दिय गया है कि बैटरी की सामान्य कीमत वह कीमत है जिस पर उसे एमओडी को विक्रय किया जाता है और तदनुसार ही चांदी की कीमत का आंकलन किया जाता है।

प्रत्यर्थीगण का तर्क है कि समान्य कीमत संव्यवहार को ध्यान में रखते हुए आकलन योग्य है। एमओडी के साथ हुआ संव्यवहार एक विशेष व्यवस्था है। संविदा की कीमत को विचार में नहीं लाया जा सकता क्योंकि यह संव्यवहार व्यापार के साधारण तरीके में नहीं किया गया है अतः चांदी की बाजारु कीमत को विचार में लेना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है कि परंतुक का लाभ उठाने के लिए अपीलार्थी को सामान्य चाल चलन थोक व्यापार का सामने रखना चाहिए। चूंकि पुरानी व्यतीत हो चुकी बैटरियों की आपूर्ति व उनसे चांदी वापस प्राप्त करना एक विशेष व्यवस्था है। यह एक सामान्य व्यवस्था नहीं कही जाएगी। यह भी तर्क दिया गया है कि यदि

कुछ कच्चा माल बिना कीमत लिए आपूर्ति किया जाता है तो उत्पाद कर के उद्देश्य से उसकी बाजारु दर काम में ली जाएगी।

धारा 4 केंद्रीय उत्पाद एवं नमक अधिनियम में उत्पाद कर योग्य माल की कीमत का आकलन बताया गया है जिन पर कीमत के अन्सार कर लगाया जा सकता है कीमत का आकलन साामन्यतः उस कीमत पर आधारित है जिस पर सामान्यतः उत्पाद कर लगाया जाता है एवं जिस दर पर विक्रेता उसे क्रेता को विक्रय करता है। अपवाद स्वरूप मामलों में जब कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता तो जो तरीका आकलन नियमों मंे निर्धारित है उसके अनुसार किया जाएगा। कीमत इन नियमों के अनुसार वह कीमत है जो धारा 4 अधिनियम के अनुसार है। धारा 4 व 5 के अन्सार आकलित की जाती है। नियम 6 तभी लागू किया जा सकता है जब वस्तुओं की कीमत का आकलन उत्पाद कर के संबंध में नियम 4 व 5 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। जब माल उत्पादकर्ता द्वारा विक्रय नहीं किया जाता अपित् उसे माल के उत्पाद में काम में लाया जाता है तो कीमत का आकलन उसके त्लनात्मक माल के उत्पाद से किया जाएगा और यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो माल के उत्पाद की कीमत के आधार पर किया जाएगा यदि कोई है तथा उसने सामान्यतः उसेऐसे माल के विक्रय पर कमाया हो।

हमारा यह विचार जो हमने ऊपर बताया है वह निम्न निर्णयों पर आधारित है -

अशोका लीलैंड लिमिटेड विरुद्ध कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद कर मद्रास, (2002) 146, ईएलटी 503 (एससी); यूनियन कार्बाइड (भारत) विरुद्ध सीसीई कलक Ÿाा (2003) 153 ईएलटी 15, बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध भारत संघ (1992) 60 ईएलटी 671 एवं सीसीई विरुद्ध डाई इची करकारिया लिमिटेड (1999) 112 ईएलटी 353। चांदी की कीमत का आकलन रु.2500 प्रति किलो के अनुसार आकलन है यह वह दर है जिस पर एमओडी खानों से चांदी प्राप्त करती थी। अपीलार्थीगण द्वारा संविदा के अन्रूप माल की कीमत एमओडी से प्राप्त की गई। एमओडी को बैटरीयों के उत्पाद के लिए चांदी की आपूर्ति करनी थी। चूंकि चांदी का स्टाॅक कम हो गया है। इसलिए एमओडी ने अपनी प्रानी बैटरीयां चांदी प्नः प्राप्त करने के लिए व चांदी प्राप्त कर नई बैटरियां उत्पाद करने के लिए अपीलार्थीगण को सौंप दीं। संविदा की शर्तों के अन्सार अपीलार्थीगण को एमओडी को बैटरियों की दर में रियायत देनी थी और यही कारण था कि जो एमओडी व एचएएल को जो आपूर्ति की गई उन दरों में भिन्नता थी।

अपीलार्थीगण को जो चांदी की आपूर्ति की गई उसकी कीमत का आकलन किया जा सकता है। यदि खान में चांदी कम नहीं होती तो एमओडी को यह चांदी खान से आपूर्ति करनी थी। परंतु चांदी की मात्रा कम हो जाने से एमओडी ने पुरानी बैटरियां जो समाप्त हो चुकी थीं उन्हें चांदी पुनः प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को सौंपी। इससे यह नहीं होगा कि चांदी की कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता। जो चांदी की आपूर्ति की गई उसकी कीमत रु.2500 प्रति किलो होगी क्योंकि यह वह कीमत है जिस पर एमओडी खान से चांदी प्राप्तकर्ता चांदी की आकलन योग्य कीमत जो तुलनात्मक माल के आधार पर की जानी है। उसका प्रश्न तभी उठेगा जब उसकी कीमत आकलन योग्य नहीं है। वर्तमान मामले में यह प्रश्न नहीं उठाया गया।

एमओडी द्वारा आपूर्ति की गई चांदी जिसका प्रावधान एमओडी व अपीलार्थी के बीच की गई संविदा में था, एक सामान्य थोक बाजार के व्यापार का चलन कहा जाएगा। धारा 4 (ए) (बी) के प्रथम परंतुक के तहत जहां थोक बाजार विक्रय की सामान्य चलन के अनुसार माल विभिन्न श्रेणियों के क्रेतागण को विभिन्न दरों पर विक्रय किया जाएगा तो ऐसी प्रत्येक कीमत ऐसे माल की सामान्य कीमत ऐसी प्रत्येक श्रेणी के क्रेता के लिए मानी जाएगी अतः एमओडी को विक्रय की जाने वाली प्रत्येक बैटरी की कीमत रु.33393 तथा इसके उत्पाद में प्रयुक्त की गई आकलन योग्य चांदी रु.2500 प्रति किलो है इसके लिए चांदी का बाजार मूल्य नहीं लिया जा सकता।

एमओडी व निर्धारिती के बीच हुई संविदा में चांदी खान से एक विशेष दर पर आपूर्ति करने की शर्त थी जिसे एमओडी को करना था और इसके एवज में अपीलार्थीगण को यह अनुमित दी गई कि वे पुरानी मृत हो चुकी प्रयुक्त बैटरियों में से चांदी निकाले और इस विशेषता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत मामले में बैटरी की प्रकृति मूलतः एमओडी द्वारा प्रयुक्त की जाती है। अतः अधिकरण द्वारा एवं निर्णयकर्ता सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय व आदेश स्वीकार नहीं किये जा सकते।

परिणामतः हम यह अपील स्वीकार करते हैं तथा अधिकरण के आदेश को जो मांग के अंतर के आधार पर है लागू नहीं किया जा सकता।

तदनुसार अपील स्वीकृत की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास'** की सहायता से अनुवादक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी राकेश कुमार बंसल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।